

प्रेसनोट

राजभाषा विभाग, दीव द्वारा विभागीय हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा सुरुचि' के तीसरे अंक हेतु लेख आमंत्रण ।

दीव :- राजभाषा विभाग, दीव द्वारा विभागीय हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा सुरुचि' के तीसरे अंक के प्रकाशन हेतु दीव जिला के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं से उनके अपने स्व-रचित हिन्दी में कविताएं, कहानी, लेख एवं निबंध आदि रचनाएं आमंत्रित किये जा रहे हैं । दीव प्रशासन के संबंधित विभाग भी विविध आयोजनों से संबंधित रिपोर्ट, जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां आमंत्रित किये जा रहे हैं । यह पत्रिका हिन्दी के प्रचार-प्रसार का व्यापक जरिया होने के साथ-साथ नवोदित रचनाकारों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान करेगा । रचनाकारों को पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी रचना भेजने के पहले इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है । रचनाकार की रचनाएं खुद की स्व-रचित/मौलिक होनी चाहिए । संकलित रचनाओं के मामले में मूल स्रोत का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । पत्रिका में राजनीतिक, विवादास्पद, अश्लील, कटु, व्यंग्य एवं अवांछित रचनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा । व्यक्तिवादी, आक्षेप, विवादास्पद प्रसंग एवं असंगत लेखों को भी शामिल नहीं किया जाएगा । मौलिक रचनाकारों को उनके उत्कृष्ट मूल रचना के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के तौर पर क्रमशः 1,500/-, 1,000/- एवं 7,00/- रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी । श्रेष्ठ रचनाओं का चयन इस पत्रिका के मंडल सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।

इच्छुक रचनाकार अपनी रचना राजभाषा विभाग, समाहर्तालय, दीव को भेज सकते हैं । रचनाकार अपना नाम, पदनाम, कार्यालय/विद्यालय का नाम, पता एवं दूरभाष/मोबाइल नं. अवश्य लिखें । साथ ही पासपोर्ट आकार की एक रंगीन नवीनतम फोटो अवश्य भेजें ।

रचना को प्रकाशित करने या न करने का पूर्णाधिकार संपादक मण्डल के पास सुरक्षित है और इस मामले में किसी प्रकार का पत्राचार या संपर्क नहीं किया जाएगा ।